

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2014/ज्येष्ठ 5, 1936

No. 275] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2014/JYAISTHA 5, 1936

# कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2014

सा.का.िन.355 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,
  - (क) नियम 5 के उपनियम (2) में "प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप 2 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप-2 में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
  - (ख) नियम 12 के परंतुक में, "प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
  - (ग) नियम 13 में, —
  - (i) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
  - "(3) कोई सरकारी सेवक जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है और पेंशन संदाय आदेश के जारी होने के समय पर प्राधिकृत होते हुए पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय की वांछा करता है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के कागज-पत्रों के साथ पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
  - (3क) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक पेंशन के कागज-पत्रों और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 की प्रस्तुति के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन करने की वांछा करता है तो वह उसके लिए प्ररूप 1-क में आवेदन करेगा।

2174 GI/2014 (1)

- (3ख) उपनियम (3) या उपनियम (3क) के अधीन पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित के अध्यधीन होगा, अर्थात्:—
  - (क) सरकारी सेवक केवल अधिवर्षिता की पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है ;
  - (ख) इन नियमों के प्ररूप 1-क या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तृत किया जाता है जिससे कि यह अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को पहुंच सके;
  - (ग) ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से तीन मास से कम अवधि पहले प्राप्त होता है; और
  - (घ) सरकार,(घ) सरकार पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी यदि सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाती है या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व वह पेंशन के दावे को समपहृत करता है।" (घ) नियम 15 के उपनियम (3) में, —
  - (i) खंड (क) में "प्ररूप 1-क" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररुप 5 या इन नियमों के प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;
  - (ii) खंड (ख) के उपखंड (i) में, "प्ररूप 1-क" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 या इन नियमों के प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
  - (ङ) प्ररूप 1, प्ररूप 1-क और प्ररूप-2 में के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

### "प्ररूप

# स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन [नियम 5(2), 6(1), 12, 13, 14(1) और (2), 15(1) और (2) तथा 16 (1) और (2) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग 1

सेवा में,		
(यहां काय	 र्ाालय अध्यक्ष का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)	
विषय :	स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण	
महोदय,		
	मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबं	धों के अनुसार नीचे यथा उपदर्शित अपनी पेंशन की
प्रतिशतता	ा का संराशीकरण करना चाहता हूं । आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं	: <del></del>
1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	

... ... ... ...

4.	कार्यालय/ विभाग/ मंत्रालय का नाम, जहां नियोजित था	
5.	जन्म की तारीख (ईसवी सन् में)	
6.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
7.	पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है	
8.	संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता	
	(40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें)	
9.	पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है	
	(i) संख्या	
	 (ii) तारीख	
	(iii) उस लेखा अधिकारी का नाम जिसने पेंशन प्राधिकृत  की है	
10.	बैंक के खाते का ब्यौरा जिसमें प्रत्येक मास मासिक पेंशन जमा की जा	
	रही है :	
	(i) बैंक और शाखा का नाम	
	(ii) खाता संख्या	
	(iii) बीएसआर कोड	
		हस्ताक्षर
स्थान :		<i>Q</i>
तारीख :		डाक का पता
	भाग 2	
	पावती	
~		
	(नाम),	
ाबना हा प	मेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1 के भाग l  में आवेदन	प्राप्त किया ।
		हस्ताक्षर
स्थान :		हरताचा <i>र</i>
तारीख	:	कार्यालय अध्यक्ष
नोट : इस	पावती पर हस्ताक्षर कर मोहर लगाई तथा उस पर तारीख डाली जाएग	ी और प्ररूप से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी
। यदि प्ररू	प्प डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकार किया जाएगा और	:पावती पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी ।
	भाग 3	
	लेखा अधिकारी(यहां पता	और पदनाम उपदर्शित करें) को इस टिप्पणी के साथ
अग्रेषित ि	के :—	
(I) `		
	क द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सर्ह <b>। कर ली गई हैं और वे सही हैं</b> ,	। ह, (।) आवदक द्वारा भाग 1 म दा गई विशिष्टिया
WHILE	। चर्रसा प्रदेश पार्च संसाद,	

(ii) आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के बिना ही	अपनी पेंशन की प्रतिशतता के संराशीव	तरण करने का पात्र है ।
(iii) प्राधिकृत की गई पेंशन की रकम [य 1972 के नियम 64 के अधीन अनुमोदित	•	नहीं किया गया है, तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, ]
(iv) वर्तमान में लागू सारणी के अनुसार	संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान	रफ. होता है।
(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन	न की रकम रफ. होग	ft I
2. अनुरोध किया जाता है कि केन मूल्य की रकम का संदाय प्राधिकृत करने		नियम, 1981 के नियम 15 के अनुसार पेंशन के संराशीकृत
<ol> <li>प्ररूप के भाग 1 की पावती क कर दिया गया है।</li> </ol>	भाग 2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जि	जेसे अलग से आवेदन को तारीख को अग्रेषित
स्थान :	हस्ताक्षर	
तारीख :	कार्यालय अध्यक्ष	
यदि केन्द्रीय सिविल [ नि		
	भाग ।	
सेवा में,		
विषय : स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन	का संराशीकरण	
महोदय,		
मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशक करना चाहता हूं । आवश्यक विशिष्टियां	·	धों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण
1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		
2. पिता/ पति का नाम		
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

4.	कार्यालय/ विभाग/मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित है	• • •		
5.	जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में)			•••
6.	सेवानिवृत्ति की तारीख			
7.	पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है			•••
8.	संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिश (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें)	तता	•••	
9.	बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन जमा की जा। :	एगी		
	(i) बैंक और शाखा का नाम :			
	(ii) खाता संख्या :			
	(iii) बीएसआर कोड ː			
स्थान :	हस्ताक्षर			
तारीख :	डाक का पता			
	भाग			
	भाग ।। (पावती)			
	(नाम),		(पदन	नाम), से स्वास्थ्य परीक्षा बिना ही पेंशन की
प्रतिशतत	ा के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1क के भाग-l में आवेदन पत्र प्राप्त ि	केया ।		
स्थान :	हस्ताक्षर			
तारीख :	कार्यालय अध्यक्ष	7		
पावती अ और पाव	: यदि आवेदन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास् ॥वेदन से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी । यदि प्ररूप डाव ती पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी । यदि यह विनिर्दिष्ट तारीख के प ख को या उसके पूर्व डाक में डाला गया हो,और आवेदक को उस आध	<sub>क</sub> से प्राप्त हुअ श्चात् प्राप्त हो	ग है ता है	तो वह उसी दिन अभिस्वीकृत किया जाएगा है तो वह तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह
	भाग ॥			
लेखा अधि	धेकारी(यहां पता और पदना	म उपदर्शित	करें)	) को  इन टिप्पणियों के साथ अग्रेषित कि :—
	(i) भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे स	ही हैं ;		
	(ii) आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अपनी पेंशन की प्रतिशतता व	<sub>का संरांशीकर</sub>	ण क	करने के लिए पात्र है ।

(iii) प्राधिकृत पेंशन की रकम (यदि पेंशन की अंतिम रकम प्राधिकृत नहीं की गई है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64 के अधीन अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें)

	(iv) वर्तमान में लागू सारणी के संदर्भ में संराशीकृत पेंशन का अवधारित मानरू. होता है
	(v)  संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकमरुपये होगी ।
2.	आवेदक के पेंशन संबंधी कागजपत्र जो सभी प्रकार से पूरे थे, इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के पत्र
संराशीव	के अधीन अग्रेषित कर दिए गए थे । यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के करण मूल्य का संदाय पेंशन संदाय आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किया जा सकता है जो आवेदक की सेवानिवृत्ति से कम से कम एक ि जारी किया जा सकता है ।
3. अग्रेषित	इस प्ररूप के भाग-1 की प्राप्ति भाग-2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जिसे अलग से आवेदक को तारीखके कर दिया गया है ।
स्थान :	हस्ताक्षर
तारीख	: कार्यालय अध्यक्ष
	प्ररूप 2
	नियम 18 में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन की
	प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप
	[ नियम 5(2), नियम 9(3), नियम 13(2), नियम 14(2), नियम 19, नियम 20(1),
	(2) और (3) और नियम 21(1) तथा नियम 25(2) देखिए]
	(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग-1

फोटो के लिए स्थान

सेवा में,	
	(यहां कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम और पूरा
	पता उपदर्शित करें)

विषय :- स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन का संराशीकरण महोदय,

मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं । मैंने आवेदन पर अपनी एक स्वप्रमाणित फोटो चिपका दी है और उसकी एक गैर अनुप्रमाणित फोटो संलग्न है । आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं -

1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			•••
2.	पिता/ पति का नाम			
3.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम			
4.	कार्यालय/ विभाग / मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजि	त था .		
5.	जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में)			
6.	सेवानिवृत्ति की तारीख			
7.	पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ			
8.	संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक वि (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित			
9.	पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है			
	(i) संख्या			
	(ii) तारीख			
	(iii) उस लेखा अधिकारी का पदनाम जिसने			
	पेंशन प्राधिकृत की है	0 0 3		
10.	बैंक के खाते का ब्यौरा, जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन	। जमा की जा रही है		
	ं (i) बैंक और शाखा का नाम :			
	(ii) खाता संख्या :			
	(iii) बीएसआर कोड :			
11.	(iii) पाएसजार कार्ज . वह अनुमानित तारीख जिससे संराशीकरण की वांछा	की गई है।		
1 1.				
12.	पहले से ही संराशीकरण पेंशन की रकम, यदि कोई है			
13.	उस स्थान की वरीयता जहां स्वास्थ्य परीक्षा कराने वे			
स्थान :	ह	स्ताक्षर		
तारीख	:	ाक का पता		
<del></del>	: पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय उस संवितरक	पाधिकारी के पाश्या से	किया उ	सामा निममे मेंशन ती जा रूरी है।
10399	. वराग के तराशाकरण चूर्य का त्याच उस सावसरक	त्राविकारा के माठ्यम स	14741 9	गाएगा जिसस वसम ला जा रहा ह
		भाग -		
		पावत <u>ी</u>		
	मैंने, श्री/कुमारी/श्रीमती		(पूर्व	पदनाम) स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन
की प्रतिः	शतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 2 के भाग 1 में आ	वेदन प्राप्त किया।		
स्थान :	ह	स्ताक्षर		
तारीख	. <del>व</del>	ार्यालय अध्यक्ष		
	•	**		

## भाग - |||

		भाग - ॥।		
	i सत्यापित कर ली गई हैं व	(यहां पता और पदनाम उपदर्शित और सही हैं और आवेदक स्वास्थ्य	•	
2. यह	अनुरोध है कि प्ररूप के भाग	ा 4 को पूरा करके यथासंभव शीघ्र	इस कार्यालय को लौटा दिया	जाए।
स्थान :		हस्ताक्ष	र	
तारीख :		कार्याल	य अध्यक्ष	
		भाग - IV		
		(लेखा अधिकारी द्वारा पू	रा किया जाए)	
1. 2. 3. 4.		 सन् में)  ज अंतर्गत अनंतिम पेंशन दि अंतिम पेंशन प्राधिकृत	··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··	
5.	नहा ह पेंशन का वर्ग [केन्द्रीय नियम, 1972 का अध्याः			
6.	उपर्युक्त मद 4 में से संराशीकृत कराने की इच	पेंशन की रकम, जिसे छा है		
		निम्नलिखित के आधार पर		
	सामान्य आयु	जोड़ा गया एक वर्ष	जोड़े गए दो वर्ष	
	₹.	<i>रू</i> .	表.	
	यदि संराशीकरण आवेदक को	के जन्म की अगली तारीख, जो रू. हैं।	है, के पूर्व उ	—— भ्रंतिम हो जाता है तो संदेय रकम
8. संल	ग्रकों की संख्या, यदि कोई है	के जन्म की अगली तारीख, के पश्च है 	ात् अंतिम हो जाता है, रकम	रु.

स्थान :

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख:

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालय अध्यक्ष पूरा पता.....

**टिप्पण :** यदि आवेदक को अशक्त पेंशन मंजूर की गई है या उसने तत्पूर्व अपना पेंशन के भाग का संराशीकरण किया है या वास्तविक आयु में जोड़े गए वर्षों के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से इंकार किया है या स्वास्थ्य के आधार पर संराशीकरण से इंकार किया गया है तो लेखा अधिकारी को प्ररूप के साथ आवेदक के मामले की रिपोर्ट या उसका विवरण संलग्न करना चाहिए ।

[फा. सं. 42/22/2014-पी एंड पीडब्ल्यू (जी)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का.आ. 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या 34/ 1/ 81 पेंशन इकाई तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित की गई और तत्पश्चात् पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई, अर्थात् :-

- का.आ. 1870, तारीख 04/05/1985
- 2. का.आ. 2097, तारीख 18/05/1985
- 3. का.आ. 1775, तारीख 19/07/1997
- 4. का.आ. 918, तारीख 28/02/2002
- का.आ. 1484(अ), तारीख 30/12/2003
- 6. का.आ. 2806, तारीख 09/11/2010
- 7. का.आ. 1964, तारीख 16 जून, 2012
- सा.का.नि 236 (अ), तारीख 28/3/2014

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Pension and Pensioners' Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 26<sup>th</sup> May, 2014

**G.S.R.** 355(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Commutation of Pension) Second Amendment Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981,
  - (a) in rule 5, in sub-rule (2), for the words and figures "in Form 1 or Form 1-A or Form 2", the words and figures "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or in Form 1 or Form 1-A or Form 2 of these rules" shall be substituted;

- (b) in rule 12, in the proviso, for the words, figures and letter "in Form 1 or Form 1-A", the words, figures, brackets and letter "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or in Form 1 or Form 1-A of these rules" shall be substituted;
- (c) in rule 13, -
  - (i) for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
    - "(3) A Government servant who is due to retire on superannuation and desires payment of the commuted value of pension being authorised at the time of issue of the pension payment order, shall be eligible to apply in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 for commutation of a percentage of pension along with pension papers prior to the date of retirement.
    - (3A) If a Government servant referred to in sub-rule (3) desires to apply for commutation of a percentage of pension after submission of pension papers and Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, he shall apply for the same in Form 1-A.
    - (3B) The application for commutation of a percentage of pension under sub-rule (3) or sub-rule (3A) shall be subject to the following; namely:-
      - (a) the Government servant retires on superannuation pension only;
      - (b) the application is submitted to the Head of Office in Form 1-A of these rules or in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, so as to reach the Head of Office not later than three months before the date of superannuation;
      - (c) no such application shall be entertained if the period is less than three months from the date of superannuation of the Government servant; and
      - (d) the Government shall have no liability for the payment of the commuted value of pension if the Government servant dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement."
- (d) in rule 15, in sub-rule (3),-
  - (i) in clause (a), for the word, figure and letter "Form 1-A", the words, figures, brackets and letter "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or Form 1-A of these rules" shall be substituted;
  - (ii) in clause (b), in sub-clause (i), for the word, figure and letter "Form 1-A", the words, figures, brackets and letter "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or Form 1-A of these rules" shall be substituted;
- (e) for Form 1, Form 1-A and Form 2, the following shall respectively be substituted, namely:—

### "FORM I

# FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION

[See Rules 5(2), 6(1), 12, 13, 14(1) and (2), 15(1) and (2) and 16(1) and (2)]

(To be submitted in duplicate after retirement but within one year of the date of retirement)

IANII
-------

To	
	The
	(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

**Subject:- Commutation of pension without medical examination.** 

I desire to commute a percentage of my pension as indicated below in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981. The necessary particulars are furnished below –

2. Father's/husband's name 3. Designation at the time of retirement	
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed 5. Date of birth (by Christian era) 6. Date of retirement 7. Class of pension on which retired 8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%) 9. Details of Pension Payment Order, if issued (i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension 10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited: (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Postal Address  PART II ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
5. Date of birth (by Christian era) 6. Date of retirement 7. Class of pension on which retired 8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%) 9. Details of Pension Payment Order, if issued (i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension 10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited: (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Postal Address  PART II ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
6. Date of retirement  7. Class of pension on which retired  8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%)  9. Details of Pension Payment Order, if issued (i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension  10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited: (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Postal Address  PART II  ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
7. Class of pension on which retired  8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%)  9. Details of Pension Payment Order, if issued  (i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension  10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited:  (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II  ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%)  9. Details of Pension Payment Order, if issued (i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension  10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited: (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II  ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
(indicate percentage, equal to or less than 40%)  9. Details of Pension Payment Order, if issued (i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension  10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited: (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
(i) Number (ii) Date (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension  10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited: (i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II  ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
(i) Name of Bank and Branch (ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
(ii) Account No. (iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
(iii) BSR Code,  Place: Signature Date: Postal Address  PART II ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
Place: Signature Date: Postal Address  PART II  ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
PART II  ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
ACKNOWLEDGEMENT  Received from Shri	
application in Part I of Form 1 for the commutation of a percentage of pension with	
Place: Signature	
Date: Head of Office	

NOTE. - This acknowledgement is to be signed, stamped and dated and is to be detached from the Form and handed over to the applicant. If the form has been received by post, it has to be acknowledged on the same day and the acknowledgement sent under registered cover.

### **PART III**

Forwarded to the Accounts Officer.....(here indicate the address and designation) with the remarks that -

- (i) the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct;
- (ii) the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted without medical examination;

	(iii)	of pension has not been authorised, indicate the amount
		of provisional pension sanctioned under Rule 64 of the Central Civil Services (Pension) Rules,1972]
	(iv)	the commuted value of pension determined with
		reference to the Table applicable at present comes to Rs
	(v)	the amount of residuary pension after commutation will be Rs
	on may	quested that further action to authorise the payment of the amount of commuted value of y be taken as in Rule 15 of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules,
		ceipt of Part I of the Form has been acknowledged in Part II which has been forwarded the applicant on
Place Date		Signature Head of Office
MI		FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF SUPERANNUATION PENSION WITHOUT AL EXAMINATION IF NOT APPLIED FOR IN FORM 5 OF CENTRAL CIVIL SERVICES (PENSION) RULES, 1972 [see Rules 5(2), 12,13(3), (3A), (3B), 14(1) and 15(3)] To be submitted in duplicate at least three months before the date of retirement)
		PART I
То	The.	
_	•	e indicate the designation and full address of the Head of Office)  ommutation of pension without medical examination.
Sir,	I des	sire to commute a percentage of my pension as indicated below in accordance with the
	sions o	of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981. The necessary re furnished below –
1.	Nam	e (in Block Letters)
2.	Fath	er's/husband's name
3.	Desi	gnation at the time of retirement
4.	Nam	e of Office/Department/Ministry in which employed
5.	Date	of birth (by Christian era)
6.	Date	of retirement
7.	Clas	s of pension on which retired
8.	Perc	entage of monthly pension proposed to be commuted

	(indicate percentage, equal to or less than 40%)			
9.	Details of Bank account to which monthly pension shall be credited:			
	(i) Name of Bank and Branch			
	(ii) Account No.			
	(iii) BSR Code:			
D.				
Place :	Signature Postal Address			
	PART II			
D !-	ACKNOWLEDGEMENT  (design exting) and find the second form of the secon			
	yed from Shri			
Place :	Signature			
Date:	Head of Office			
handed same of after the	rement on superannuation, this acknowledgement should be detached from the Form and dover to the applicant. If the form has been received by post, it has to be acknowledged on the lay and the acknowledgement sent under registered cover to the applicant. In case it is received he specified date, it should be accepted only if it has been put into the post on or before that abject to the production of evidence to that effect by the applicant.			
	PART III			
	varded to the Accounts Officer			
address and designation) with the remarks that -  (i) the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are corrected.				
	(ii) the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted without medical examination;			
	(iii) Amount of pension authorised. [In case final amount of pension has not been			
	authorised, indicate the amount of provisional pension sanctioned under Rule 64 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972]			
	(iv) the commuted value of pension determined with reference to the Table applicable at			
	present comes to Rs  (v) the amount of residuary pension after commutation will be Rs			
	(v) the amount of residuary pension after commutation will be Rs			
	The pension papers of the applicant completed in all respects were forwarded under this ry/Department/Office Letter No, dated			
payme	ent of commuted value of pension may be authorised through the Pension Payment Order may be issued at least one month before the retirement of the applicant.			
	The receipt of Part I of the Form has been acknowledged in Part II which has been forwarded tely to the applicant on			
Place :	Signature			
Date:	Head of Office			

# FORM 2

# FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF PENSION AFTER MEDICAL EXAMINATION BY AN APPLICANT REFERRED TO IN RULE 18

[see Rules 5(2), 9(3), 13(2), 14(2), 19, 20(1), (2) and (3), 21(1) and 25(2)]

(To be submitted in duplicate)

			PAF	RT-I					
								SPACE	3
								FOR	
							I	PHOTOGR	APH
То									
	The				····				
			•••••						
	(Here	indicate the designation and f	ull addr	ess of	the Head	of Off	fice)		
Subje Sir,	ect:- Con	nmutation of pension after me	dical ex	kamina	tion.				
photo	al Civil graph is irnished	ire to commute a percentage I Services (Commutation of pasted on the application and below - (in Block Letters)	f Pensi	ion) R	ules, 19	981. A	self-a	ttested cop	y of my
2.	Father's/husband's name								
3.	Design	nation at the time of retiremer	nt		•••				
4.	Name	of Office/Department/Ministr	ry in wh	nich en	ployed				
5.	Date of	of birth (by Christian era)	•••						
6.	Date of	of retirement							
7.	Class	of pension on which retired							
8.		Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%)							
9.	Detail (i) (ii)	s of Pension Payment Order, i Number Date	if issued	1					
	(iii)	Designation of the Accounts	office:	r who a	authorise	d the p	ension		
10.	Detail	s of Bank account to which m	onthly 1	pensio	n is being	g credit	ted:		

11.	<ul> <li>(i) Name of Bank and Branch</li> <li>(ii) Account No.</li> <li>(iii) BSR Code,</li> </ul>				
12. 13.	Approximate date from which commutation is desired to have effect  The amount of pension already commuted, if any  Preference for station where medical examination is desired to take place				
			Signature Postal Address		
	The payment of commute which pension is being drawn	_	ıll be made through tl	he disbursi	ng authority
	Received from Shri\ Kum(former dage of pension after medica	esignation) application	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Place : Date :	C				
have b	Forwarded to the Account s and designation) with the een verified and are corrected after medical examination is requested that Part IV of the een.	e remarks that the part et and the applicant is ion.	iculars furnished by eligible to get a per	the applic centage of	eant in Part I f his pension
Place : Date :			ature I of Office		
1. 2. 3. 4. 5.	Date of birth (by Christian era)  Date of retirement  Amount of pension including provisional pension, if final pension not authorised  Class of pension [See Chapter V of the CCS (Pension) Rules, 1972]  Amount of pension out of the amount in item 4 above that may be allowed to be commuted				
	Normal Age	On the basis of  1 added year	2 added years		
	Rs	Rs	Rs		

7.	(1) Sum payable if commutation becomes absolute before the applicant's next birthday, which falls on, Rs				
	(ii) Sum payable if commutation become the applicant's next birthday	s absolute after Rs			
8.	Number of enclosures, if any [See Note below]				
Place : Date :		Signature and Designation of the Accounts Officer			
	Countersigned	(Head of Office) Full address			

NOTE. - The Accounts Officer should enclose with the Form a copy of the report or statement of the applicant's case if the applicant has been granted invalid pension or has previously commuted a part of his pension or declined to accept commutation on the basis of an addition of years to actual age, or has been refused commutation on medical grounds."

[F.No.42/22/2014-P&PW (G)] VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

**Note.**– The Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 were published *vide* S.O. 1134, dated 11<sup>th</sup> April, 1981 and amended *vide* notification No. 34/1/81 Pension Unit dated the 8<sup>th</sup> July, 1983 and were subsequently amended *vide* following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

- 1. S.O. 1870, dated 04/05/1985
- 2. S.O. 2097, dated 18/05/1985
- 3. S.O. 1775, dated 19/07/1997
- 4. S.O. 918, dated 28/02/2002
- 5. S.O. 1484 (E), dated 30/12/2003
- 6. S.O. 2806, dated 09/11/2010
- 7. S.O. 1964, dated 16<sup>th</sup> June, 2012
- 8. G.S.R. 236 (E), dated 28/3/2014